

(भाग-4)

(नोडल अधिकारी अथवा प्रधान मुख्य वन संरक्षक द्वारा भरे जाने के लिए)

प्रस्ताव '— वर्ष 2016-17 में राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद मैनपुरी में शिकोहाबाद-भोगाँव मार्ग (राज्य मार्ग सं०- 84) के चैनेज 21.00 से 43.800 एवं घिरोर बाईपास मार्ग (ल० 6.56 कि०मी०) कुल लम्बाई 25.66 कि०मी० का चार लेन चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण के कार्य हेतु मार्ग के दोनो तरफ पड़ने वाली संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी उपयोग हेतु आवेदन ।

प्रस्तावित संरक्षित वन भूमि का क्षेत्रफल — 24.92755 हे०

1-	टिप्पणियों के साथ प्रस्ताव को स्वीकार करने या अन्यथा के लिए राज्य वन विभाग की विस्तृत राय और निर्दिष्ट सिफारिशें । (राय देते समय, सम्बन्धित वन संरक्षक, अथवा उप वन संरक्षक की प्रतिकूल टिप्पणियों की सुस्पष्ट की जाय और विवेचानात्मक टिप्पणी की जाय)	संस्तुति दी जाती है।
----	---	-----------------------------

तिथि - 15/11/18

स्थान - लखनऊ

हस्ताक्षर
(आर. आर. उमरका)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
वन (संरक्षण) अधिनियम-1980
उ० प्र०, लखनऊ।

नाम और पदनाम

सरकारी मोहर